कार्यालय
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानीसेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 1461 / जी– 331 / 2023–24, दिनांक–07 ~~मार्च~~ जून 2024

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन, आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग के अधिसूचना संख्या–2637 / XXXX/2015-36/2014 दिनांक–27 नवम्बर 2015 द्वारा प्रख्यापित **"उत्तराखण्ड़ आयुर्वेदिक परिचारिका सेवा नियमावली 2015"** में निहित प्राविधानों के अनुसार राज्य के राज्य के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में **आयुर्वेदिक परिचारिका (स्टाफ नर्स)** के (वेतन मैट्रिक्स रू0 9300–34800 लेबल–7) रिक्त 14 पदों पर नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन प्रपत्र निम्न निर्धारित प्रारूप पर आंमत्रित किये जाते हैं।

रिक्त पदों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :–

विज्ञापित पदों की संख्या एवं विवरण आयुर्वेदिक परिचारिका (स्टाफ नर्स)		क्षैतिज आरक्षण					कुल क्षैतिज आरक्षण	ओपन कैटेगिरी
		महिला (30%)	दिव्यांगजन ओ0ए0, ओ0ए0 श्रेणी (4%)	भूतपूर्व सैनिक (5%)	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित (2%)	उत्तराखण्ड़ के अनाथ बच्चे (5%)		
अनु0जाति–	03	–	–	–	–	–	–	03
अनु0जनजाति–	01	–	–	–	–	–	–	01
अन्य पिछड़ा वर्ग–	01	–	–	–	–	–	–	01
सामान्य–	07	02	–	–	–	–	02	05
सामान्य– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–	02	02	–	–	–	–	02	00
योग–	**14**	**04**	–	–	–	–	**04**	**10**

विज्ञापित पदों की संख्या घट–बढ सकती है।

(2) **आरक्षण :–** उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(3)**अर्हतायें :–**

(अनिवार्य अर्हतायें)

(क) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद / उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा उतीर्ण हो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उतीर्ण की हो।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक परिचारिका (स्टाफ नर्स) का तीन वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया गया हो एवं भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो।

अधिमानी अर्हतायें–

(i) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या

(ii) नेशनल कैडिट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या

10/3/24

Scanned with OKEN Scanner

(iii) अनिवार्य/वांछनीय अर्हता उत्तराखण्ड़ लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के वाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 समय समय पर यथासंशोधित के अनुसार होगी।

(4) अभ्यार्थी का उत्तराखण्ड राज्य में किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक है। जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी/अर्द्वसरकारी सेवा में हो उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(5) **आयु** :– दिनांक 01 जनवरी, 2024 को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। उत्तराखण्ड़ राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाये, को शासकीय नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी।

(6) **शुल्क** :– आवेदन पत्र के साथ सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रू0 150/– का बैंक चालान लेखाशीर्षक 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 800– अन्य प्राप्तियाँ, 10–अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियाँ आयुर्वेदिक के शीर्षक में जमा होगा, आवेदन पत्र के साथ चालान की मूल प्रति संलग्न करना आवश्यक है। बिना बैंक चालान के आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

(7) **चयन प्रक्रिया** :– उत्तराखण्ड़ शासन आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग के पत्र संख्या–3444/ XL-1/2021-85/2021 दिनांक–30 दिसम्बर 2021 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड़ आयुर्वेदिक परिचारिका सेवा नियमावली 2015" में निहित प्राविधानों के अनुसार चयन, डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के वर्षवार योग्यता क्रम (मैरिट) के अनुसार चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा।

(8) **आवेदन पत्र जमा करने की तिथि** :– निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र " **निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड़, डाण्ड़ा लखौण्ड सहस्त्रधारा रोड़, निकट आई0टी0 पार्क, देहरादून"** के कार्यालय में विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्राप्त किये जायेगें। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से स्वीकार किये जायेगें। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् डाक वितरण में विलम्ब या किसी कारण से विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।

(9) **अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ निम्न प्रमाण–पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियाँ संलग्न करना भी अनिवार्य है–**

1. आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत)।
2. हाई–स्कूल/इण्टरमीडियट प्रमाण–पत्र एवं अंक तालिका।
3. "उत्तराखण्ड़ आयुर्वेदिक परिचारिका (स्टाफ नर्स) प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र एवं अंक तालिका।
4. भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में पंजीकरण प्रमाण पत्र।
5. मूल निवास/स्थाई निवास प्रमाण–पत्र।
6. उत्तराखण्ड राज्य के रोजगार/सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण प्रमाण–पत्र।
7. दो चरित्र प्रमाण–पत्र(राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त)।
8. निर्धारित शुल्क का बैंक चालान मूल रुप में।
9. स्वयं पता लिखा 23X10 से0मी0 के दो लिफाफे जिनमें पंजीकृत डाक टिकट लगें हों।
10. अन्य योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र यदि कोई हों तो।

16/3/024

(डा0 विजय कुमार जोगदण्डे)
निदेशक

Scanned with OKEN Scanner